न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

1. जयप्रकाश पुत्र रामगोपाल
2. हर्षा जोशी पत्नी जयप्रकाश
   जाति जोशी ब्राह्मण निवासी फलोदी
   तहसील फलोदी जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम सेवक/पदेन सचिव
   ग्राम पंचायत जागरिया पंचायत
   समिति फलोदी जिला जोधपुर
2. तहसीलदार फलोदी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 628/2018

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जोशी
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही
3. अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार फलोदी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 19-11-19

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है राजस्व ग्राम मोहरा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 269.18 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि की आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत के चिपता चिपत ही पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 126.13 बीघा का आया हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर 110 के चिपता चिपत दक्षिण तरफ सरकारी कटाण रास्ता चलता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु पुराना कदीमी अस्थाई कच्चा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 110 में से होकर चलता है जो आगे जाकर सरकारी कटाण रास्ता में मिलता है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 15 की भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज भी करते आये है। जिस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया गया है। जो आगे जाकर सरकारी कटाण रास्ता मार्क सी से डी से जोड़ता है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के लिये कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिये प्रार्थी न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 15 में आने जाने हेतु उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 126.13 बीघा भूमि में से होकर गुजरता है उक्त रास्ते को 30 फुट चौड़ा कटाण मार्ग से प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज किया जावें। प्रार्थी विधि अनुसार डी.एल. सी. दर के अनुसार भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने अथवा अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बावजुद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार फलोदी द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 110 की भूमि श्मसान की भूमि है जो फलोदी शेखासर डामर सडक के चिपती भूमि है जिसमें प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोहरा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 269.18 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि की आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत के चिपता चिपत ही पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 110 रकवा 126.13 बीघा का आया हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर 110 के चिपता चिपत दक्षिण तरफ सरकारी कटाण रास्ता चलता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु पुराना कदीमी अस्थाई कच्चा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 110 में से होकर चलता है जो आगे जाकर सरकारी कटाण रास्ता में मिलता है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 15 की भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज भी करते आये है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 15 में आने जाने हेतु उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 126.13 बीघा भूमि में से होकर गुजरता है उक्त रास्ते को 30 फुट चौड़ा कटाण मार्ग से प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज किया जावें। प्रार्थी विधि अनुसार डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थी सख्या 3 ने पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को गुणावगुण के आधार पर रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया।

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 15 की भूमि ग्राम मोहरा पटवार क्षेत्र बावडीकलां तहसील फलोदी जिला जोधपुर में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 126.13 बीघा में से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। जो तहसीलदार फलोदी एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 15 रकबा 269.18 बीघा भूमि ग्राम मोहरा पटवार क्षेत्र वावडीकलां तहसील फलोदी जिला जोधपुर तक पहुंचने के लिये निर्धारित प्रतिकर के संदाय पर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 126.13 बीघा भूमि में से 30 फुट चौड़ा व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में ए से बी के बीच की लंबाई में रास्ता प्रार्थी को अनुज्ञात करावें तथा उक्त रास्ता के उपयोग में आ रही भूमि की डीएलसी दर की दुगुनी राशि प्रार्थी को तहसीलदार फलौदी ज्ञात करावें उक्त ज्ञात राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय फलौदी में जमा करवायी जाने पर प्रस्तुत नजरी नक्शा में ए से बी अनुसार भूमि रास्ता के उपयोग हेतु प्रार्थी को अनुज्ञात किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

निर्णय आज दिनांक 19-11-19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा आर .ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी
उप खण्ड अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2019.12.14 11:31:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: